न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 117/2016

अनवान : –

1. पालाराम पुत्र नंदराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 30/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रामगढ़ तहसील नोहर के चक 18 डीपीएन के खाता स0 2 की कुल 16.4070 हैक्ट भूमि का बाहमी बंटवारा सब रजिस्टार नोहर में तस्दीक किया गया था। मुताबिक बंटवारा वादी के नाम उक्त भूमि में 10 बिघा 7 बिस्वा अर्थात 207 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज होनी थी लेकिन पटवारी द्वारा सहवन से 167 हिस्सा भूमि दर्ज कर दी जबकि राजीनामा के मुताबिक 207 हिस्सा भूमि दर्ज होनी थी।

उपरोक्त कृषि भूमि मुताबिक बंटवारा वादी के भाईयों के तो सही दर्ज हो गयी लेकिन वादी के नाम 2 बिघा भूमि कम दर्ज हो गयी। वादी मुताबिक बंटवारा के वादी 207 हिस्सा भूमि पर काबिज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा हैं एवं बंटवारानाम में रोही मौजा रामगढ़ तहसील नोहर के चक 18 डीपीएन के प0न0 474/436 (42) के किला न0 20–21 की 2 बीघा भूमि लिखने से रह गयी जबकि उक्त 2 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में है अत रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता 2 में वादी का 167 हिस्सा के स्थान पर 207 हिस्सा के अंकन की घोषणा की जावे यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया [illegible] की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकार[illegible] वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 18 डीपीएन तहसील नोहर के ख[illegible] स0 2 की कुल 16[illegible] हैक्ट भूमि का बाहमी बंटवारा सब रजिस्टार नोहर में तस्दीक किया गया था। मुताबिक बंटवारा वादी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उक्त भूमि में 10 बिघा 7 बिस्वा अर्थात 207 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज होनी थी लेकिन पटवारी द्वारा सहवन से 167 हिस्सा भूमि दर्ज कर दी जबकि राजीनामा के मुताबिक 207 हिस्सा भूमि दर्ज होनी थी। उपरोक्त कृषि भूमि मुताबिक बंटवारा वादी के भाईयों के तो सही दर्ज हो गयी लेकिन वादी के नाम 2 बिघा भूमि कम दर्ज हो गयी। वादी मुताबिक बंटवारा के वादी 207 हिस्सा भूमि पर काबिज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा हैं एवं बंटवारानाम में रोही मौजा रामगढ़ तहसील नोहर के चक 18 डीपीएन के प0न0 474/436 (42) के किला न0 20–21 की 2 बीघा भूमि लिखने से रह गयी जबकि उक्त 2 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में है अत रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता 2 में वादी का 167 हिस्सा के स्थान पर 207 हिस्सा के अंकन की घोषणा की जावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 2 की कुल 16.4070 हैक्ट भूमि में से 167 हिस्सा भूमि वादीया के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि रोही मौजा चक 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 2 की कुल 16.4070 हैक्ट भूमि का बाहमी बंटवारा सब रजिस्टार नोहर में तस्दीक किया गया था। मुताबिक बंटवारा वादी के नाम उक्त भूमि में 10 बिघा 7 बिस्वा अर्थात 207 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज होनी थी लेकिन पटवारी द्वारा सहवन से 167 हिस्सा भूमि दर्ज कर दी जबकि राजीनामा के मुताबिक 207 हिस्सा भूमि दर्ज होनी थी। उपरोक्त कृषि भूमि मुताबिक बंटवारा वादी के भाईयों के तो सही दर्ज हो गयी लेकिन वादी के नाम 2 बिघा भूमि कम दर्ज हो गयी। वादी मुताबिक बंटवारा के वादी 207 हिस्सा भूमि पर काबिज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा हैं एवं बंटवारानाम में रोही मौजा रामगढ़ तहसील नोहर के चक 18 डीपीएन के प0न0 474/436 (42) के किला न0 20–21 की 2 बीघा भूमि लिखने से रह गयी जबकि उक्त 2 बीघा भूमि वादी के कब्जा काश्त में है अत रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता 2 में वादी का 167 हिस्सा के स्थान पर 207 हिस्सा दर्ज किया जावे लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया नही किया गया है कि जिससे यह साबित हो की उक्त 2 बिघा भूमि किसके नाम दर्ज हुई है एवं वादी किस खातेदार के नाम दर्ज भूमि में से 2 बिघा भूमि कम करवाकर अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है एवं वादी द्वारा न ही जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों सबूतों एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/03/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 117/2016

अनवान : –

1. पालाराम पुत्र नंदराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 117 सन 2016 निर्णय दिनांक 30/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:03:46 IST
Reason: SelfAttested